अध्याय - १

प्रास्ताविक

१.१ विषय प्रवेश

१.२ अनुसंधान समस्या का शाब्दांकन

१.३ अनुसंधान कार्य का महत्व

१.४ अनुसंधान-कार्यसे सम्बन्धित आधारभूत सामग्रीका समालोचन

१.५ अनुसंधान-कार्य के उद्देश्य

१.६ अनुसंधान-कार्य की मर्यादाएँ

१.७ अनुसंधान-कार्य की पद्धति

१.८ अनुसंधान-कार्यके साधन

१.९ न्यादर्श

१.१० प्रकरणीकरण

१.१ विषय प्रवेश :-

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का उत्तरदायित्व पूरा करने में हिंदी भाषाध्यापन करनेवाले अध्यापक की एक अहम् भूमिका होती है। राष्ट्रभाषा की जिम्मेदारियाँ को निभाने के लिए अध्यापक में विविध खुबियाँ चतुराइयाँ, कुशाग्र बुद्धि एवं कौशालों की उपलब्धि आदि आवश्यक हैं।

हर कोई राष्ट्रभाषा अपने-अपने राष्ट्र का प्रतिबिंब होती है। राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति, एकता, उज्ज्वल संस्कृति, राष्ट्र की जाज्वल्य अस्मिता आदि का प्रतिबिंब है - "राष्ट्रभाषा"। अत: इनके प्रति जागृत रहना, छात्रों को इनसे जागृति दिलाने की भूमिका राष्ट्रभाषाध्यापन करनेवाले अध्यापक को करना निहायत जरूरी है।

शिक्षा-प्रक्रिया का केंद्रस्थान है, सफल अध्ययन-अध्यापन। अध्यापन की गुणात्मकता अध्यापक को मिलनेवाले प्रशिक्षण की गुंणवत्ता पर निर्भर हुआ करती है। राष्ट्रभाषा के अध्यापन करनेवाले अध्यापकों में राष्ट्रभाषाध्यापन के प्रति उदासीनता तथा उद्देश्यों की सफलता के प्रति उदासीनता का वातावरण दिखाई देता हैं। इसीलिए अध्यापक-महाविद्यालयों में परिचालित प्रशिक्षण - पाठ्यक्रम एवं उसकी कार्यनीति का अध्यायन करने की समस्या निर्माण हुई।

प्रचलित हिंदी - अध्यापन-विधिका पाठ्यक्रम हिंदी-विषय अध्यापक को राष्ट्रीय उद्देश्य सफल बनाने में, माध्यमिक पाठशालाओं में निर्धारित उद्देश्यों को सफल बनाने में तथा स्वयं अध्यापक को सक्षमता, परिपूर्णता, बहाल करने में किसतरह उपयुक्त है, इसकी जाँच-पडताल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत संशोधन कार्य सम्पन्न हुआ।

प्रस्तुत शोध-कर्ति ने "हिंदी" विषय में एम.ए. की उपाधि तथा "शिक्षा-शास्त्र" विषय में एम.एड. की उपाधि संपन्न की है। अध्यापक महाविद्यालय में कार्यभार संभालते वक्त "हिंदी अध्यापन-विधि की उपयुक्तता को लेकर मनमें अनेकों संदेहों का उद्भव हुआ, जिनकी चर्चा अन्य अध्यापकों से भी हुई। उपयुक्तता को मद्देनजर रखते हुए पाठ्यक्रम के कार्यान्वितिकरण में समस्याएँ आई, कई बाहरी प्रभावों का भी सामना करना पडा। अत: मन में अनेक प्रश्न आये। जैसे कि पाठशाला में सफल अध्यापक बनने हेतु प्रचलित "हिंदी-अध्यापन-विधि" का पाठ्यक्रम कितनी हदतक उपयुक्त है ? अध्यापकीय व्यवहार के लिए पाठ्यक्रम कौन-सी क्षमताएँ प्रदान करता है? अगर, प्रस्तुत पाठ्यक्रम उपयुक्त न ठहरता हो तो उसके कौनसे कारण हो सकते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर पानेके लिए प्रस्तुत अनुसंधान कार्य आयोजित किया गया था।

"हिंदी अध्यापन-विधि" केवल एक पढाई जानेवाली विषयपद्धति न बने बल्कि उसका महत्त्वपूर्ण योगदान जीवन में, राष्ट्र को एकता दिलाने में, साथ ही अध्यापकीय प्रशिक्षण में कितने हदतक उपयुक्त है, इसके बारे में उत्तर पाने-हेतु प्रस्तुत शोध कार्य का नियोजन हुआ था।

अंतत: हिंदी-अध्यापन विधि पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, उद्देश्यों की सफलता, अध्यापन क्षमता, कौशल आदि के संबंध में उपयुक्त संदेहों का, समस्याओं का हल पाने हेतु प्रस्तुत अनुसंधान-कार्य सम्पन्न हुआ है। प्रस्तुत विषय का चयन इसी प्रमुख उद्देश्य को लेकर ही किया गया है।

१.२ अनुसंधान-समस्या का शाब्दांकन :-

प्रस्तुत समस्या का शाब्दांकन निम्नलिखित रूप से किया गया है।

" अध्यापक महाविद्यालयों में सीखाये जानेवाली हिंदी-अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम तथा कार्यनीति का चिकित्सात्मक अध्ययन "

अनुसंधान कार्य एक शास्त्रीय चिकित्सात्मक कार्य है। इसलिए शोध-समस्या-विधान में संज्ञाओं का प्रयोग एक विशिष्ठ अर्थ से करना जरूरी होता है। प्रस्तुत शोध-समस्या-विधानांतर्गत विविध संज्ञाओं की परिभाषाएँ निम्नप्रकार से की गई है।

अध्यापक महाविद्यालय :-

प्रस्तुत शोध-पूर्ति के लिए सिर्फ "एक-वर्षीय बी.एड.के पाठ्यक्रम" का परिचालन करनेवाले अध्यापक महाविद्यालयों को ही सीमित अर्थ में लिया गया है। क्योंकि " एक वर्षीय बी.एड्. पाठ्यक्रम का चिकित्सात्मक अध्ययन और उसकी उपयुक्तता के बारे में अध्ययन किया गया है।

सी.व्ही.गुड् के " डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन"-[१९५९]" में "अध्यापक महाविद्यालय " की परिभाषा निम्नांकित प्रकार से की गयी है -

" A college within a university that is responsible for the professional preparation of teachers".

" जिन महाविद्यालयों में अध्यापक का पेशा स्वीकृत करने से पूर्व अर्थात् सेवापूर्व-प्रशिक्षण में व्यावसायिक तैयारियाँ शिक्षकों के लिए बी.एड्. [बॅचलर ऑफ एज्युकेशन] के पाठ्यक्रम के अध्ययन आयोजन से किया जाता हो, जो विद्यालय, विश्वविद्यालयीन कक्षांतर्गत हो, इन महाविद्यालयों को " अध्यापक महाविद्यालय " कहा जाता है।

अध्यापन विधि :-
===========

अध्यापक महाविद्यालयों में विषयानुसार अध्यापन-विधि की आयोजना होती है।

सी.व्ही.गुड् के " डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन-[१९५९] में. पृ.क्र. ३६३ पर " अध्यापन विधि " की परिभाषा इसप्रकार उधृक्त है -

" Method is the relationship established by an educational institutions with a group of participants for the purpose of systematically diffusing knowledge among them".

" हिंदी-अध्यापन-विधि " के संदर्भ में प्रस्तुत परिभाषा का अनुवाद निम्नांकित प्रकार से किया है -

" प्रशिक्षणार्थियों को हिंदी-अध्यापन विधि के विशिष्ठ पद्धतिनुसार अध्यापक बनने हेतु जो ज्ञान एवं कौशलों को आत्मसात करना जरूरी है, वह प्रसारित करने हेतु शैक्षिक संस्था तथा उनसें सहभागी " हिंदी-विषय-अध्यापन-विधि " का प्रशिक्षण लेनेवाले प्रशिक्षणार्थियों को उसकी उपलब्धि देना याने अध्यापन विधि है।"

पाठ्यक्रम :-
======

" पाठ्यक्रम " शब्द के लिए अंग्रेजी में " सिल्येबस " शब्द प्रयोगित है।

सी.व्ही. गुड के शब्दकोष " डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन -[१९५९]" में. पृ.क्र. ५७८ पर पाठ्यक्रम अर्थात "सिल्येबस" शब्द की परिभाषा अग्रांकित है।

" An outline or brief description of the main points of a text lecture or course. It may be represent the obligatory of a course".

बी.एड्. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमांतर्गत " हिंदी-अध्यापन-विधि का पाठ्यक्रम " के सम्बंध में उपर्युक्त परिभाषा का अर्थ निम्नांकित प्रकार से किया है -

" बी.एड्. के पाठ्यक्रमांतर्गत " हिंदी-अध्यापन-विधि " के अध्ययन से नियोजित अत्यावश्यक क्षमताएँ प्राप्त करने हेतु विशिष्ठ बंधनकारक आशय - घटकों की अध्ययन करने के लिए जो रूपरेखा है, वह अर्थात पाठ्यक्रम है।"

कार्यनीति :-
=======

कार्यनीति का अर्थ बी.एड्. के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमांतर्गत "हिंदी-अध्यापन-विधि" के " सैद्धांतिक विभाग " का अध्यापन कैसे किया जाता है, तथा " प्रात्यक्षिक कार्य " की आयोजना, साधन, पद्धति उपयुक्तता के संदर्भ में कैसे होती है, इस संदर्भ में लिया गया है -

" सैद्धांतिक " शब्द के लिए " इंटरनॅशनल डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन " में." थेअरी ऑफ एज्युकेशन " शब्द का प्रयोग मिलता है। इसकी परिभाषा निम्नांकित है -

" Field of academic study dealing with principles and data in educational disciplines and practice ".

अर्थात् " हिंदी-अध्यापन-विधि " के पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक विभागीय तत्व, एवं प्रात्यक्षिक कार्य विभागीय घटकोंकी कार्य-पद्धति कैसी है, इसकी सूक्ष्म

आलोचना करना, अध्यापन नीति तथा प्रात्यक्षिक कार्य की कार्यनीति की आलोचना करना ही कार्यनीति है।

चिकित्सात्मक अध्ययन :-

" चिकित्सा " का अर्थ है, किसी विषय का सूक्ष्म एवं सर्वांगपूर्ण, समीक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन। " चिकित्सात्मक " शब्द के लिए सी.व्ही.गुड् के " डिक्शनरी ऑफ एज्युकेशन " में " क्रिटीकल " शब्द का प्रयोग किया है, जो " क्रिटिक " नाम का विशेषण है और " क्रिटिक " शब्द की परिभाषा निम्नांकित प्रकार से की गई है -

" Critic is the review of work with a student teacher to point out teaching and offer suggestions for improvement".

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध से शिक्षा-शास्त्र महाविद्यालयोंमें सीखाये जानेवाली " हिंदी-अध्यापन-विधि " के पाठ्यक्रम का सूक्ष्म सांगोपांग, विवेचनात्मक, विविध बारीकियाँ सहित अध्ययन अभिप्रेत है। साथ ही इसमें " हिंदी-अध्यापन विधि " के पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक विभाग एवं प्रात्यक्षिक कार्य विभाग के गुण-दोषों की आलोचना तथा उपयुक्तता की दृष्टि से परिक्षण करते हुए उसमें तब्दिलियाँ लाने हेतु सुधारणात्मक सूचनाएँ देने हेतु किया गया है। इसी अर्थ में " चिकित्सात्मक अध्ययन " की संकल्पना को प्रयोग में लाया गया है।

१.३ अनुसंधान कार्य का महत्व :-

प्रस्तुत अनुसंधान-कार्य में बी.एड्. के पाठ्यक्रमांतर्गत हिंदी-अध्यापन-

विधि का सूक्ष्म, सांगोपांग, समीक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक तथा सुधारणात्मक सूचनाओंभिमुख अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्यकी दिशा इस ओर उन्मुख थी कि, " हिंदी-अध्यापन-विधि " की उपयुक्तता हिंदी-विषय के प्रशिक्षणार्थियों के लिए, भविष्यकाल में सफल शिक्षक बनने हेतु कितनी हदतक है, पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की सफलता कितने हदतक होती है, इसके बारे में जाँच-पडताल करनी थी। साथ ही सैद्धांतिक विभाग की एवं प्रात्यक्षिक विभाग की उपयुक्तता, उद्देश्य सफल कराने में, अध्यापन की विविध क्षमताएँ प्रदान करने में कितनी हदतक है, सफल अध्यापक बनने में उसका योगदान कैसा है, आदि की जाँच-पडताल " प्रश्न-सूची " साधन द्वारा की गई है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान-कार्य उपयुक्तता, उद्देश्यों की सफलता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान निश्चय स्वरूप से रखता है।

साथ- साथ हिंदी-अध्यापन विधि के सैद्धांतिक विभाग एवं प्रात्यक्षिक कार्य विभाग में कौन से सुधारणात्मक परिवर्तन लाने चाहिए इसका शोध भी प्रस्तुत अनुसंधान-कार्य में लिया गया है। जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत अनुसंधान-कार्य में सिर्फ " हिंदी-अध्यापन-विधि " के पाठ्यक्रम का ही चिकित्सात्मक अध्ययन किया है। किन्तु इसकी उपयुक्तता आगे चलकर " सम्पूर्ण बी.एड्.पाठ्यक्रम " के चिकित्सात्मक अध्ययनार्थी को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में दिविधांगी रूप से है।

१.४ अनुसंधान कार्य से संबंधित आधारभूत सामग्री का समालोचन :-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य से संबंधित पहलुओं को निर्देशन करने वाले बहुत ही कम अनुसंधान कार्य हो चुके है। किन्तु प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के लिए कोई महत्व-पूर्ण सामग्री इन अनुसंधान कार्यों से नही मिलती। फिरभी उनका समालोचन निम्नांकित है। -

मिश्रा जे.एन्. [१९६९] ने " A Study of the Problem and Difficulties of Hindi, English and Sanskrit Language Teaching at Secondary Stage".
नामक अनुसंधान-कार्य किया है। इस अनुसंधान कार्य के उद्देश्य थे -:

१] बच्चों के सर्वकष विकास में, बालक-व्यक्तिमत्व को विकसित बनाने में भाषा का महत्व।

२] उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी-वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की अधोगती के कारण ढूंढना।

३] हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अध्यापकों को हरदिन के भाषाध्यापन करते वक्त आनेवाली व्यावसायिक अडचनों को समझ लेना।

४] हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा की गुणवत्ता बढाने के हेतु छात्रों को अलग-अलग कृतिपूर्ण एवं संरचनात्मक सूचनाएँ देना।

उपर्युक्त अनुसंधान कार्य में साक्षात्कार निरिक्षण आदि द्वारा हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत भाषाध्यापन संबंधी सामग्री इकठ्ठी की थी। एक प्रश्नावली जिसमें उनतीस प्रश्न थे, जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के अध्यापन-विकास कार्य से संबंधित थे। यह प्रश्नावली मध्यप्रदेश के एक हजार उच्च माध्यमिक पाठशाला के विद्यार्थियों को भेजी गयी थी।

इस अनुसंधान कार्य के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नांकित है। -

१] ज्यादा भागा में अध्यापक भाषाध्यापन में व्याकरण-शिक्षा में उद्गामी [इंडक्टीव्ह] पद्धतिका उपयोजना करते है, अपितु अस्सी प्रतिशत [८० %] अध्यापक अनुगामी [डिडक्टीव्ह] पद्धतिका अवलंब करते है।

२] ज्यादातर अध्यापक निबंधाध्यायन के लिए श्रुतलेखन से नोट करना जैसी पद्धति का अवलंब करते है।

३] करीबन सभी अध्यापक वर्ग के मत से भाषाध्यापन का पाठ्यक्रम विस्तृत है, जो समय पर खत्म नहीं किया जा सकता अर्थात् परीक्षापूर्व निहित समय पर खत्म नहीं किया जा सकता।

४] नब्बे प्रतिशत [९० %] अध्यापक वर्ग के मत से पाठ्यक्रमिक पुस्तकांतर्गत पाठ छात्रों के मानसिक स्तर से उपर ऊँचे दर्जे के है।

५] नब्बे प्रतिशत [९० %] अध्यापक वर्ग के मत से " भाषा की परीक्षा " लेना निहायत जरूरी है।

वर्मा व्ही.पी. [१९७१], द्वारा, 'Method and Means of Teaching Hindi' नामक अनुसंधान कार्य में बच्चों का मानसिक विकास होने के लिए अत्यावश्यक साहित्यिक चीजें कौनसी है, विविध स्तरों के कक्षानुरूप छात्रोंके लिए पाठ्यक्रम का विकास करने हेतु हिंदी का स्थान क्या है, इसका अध्ययन बच्चों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की भावी रूपरेखा बनाने हेतु किया गया है। इन्हों ने हिंदी अध्यापन संबंधी वस्तुत: एवं विकासात्मक पद्धति की खोज की है। इन्हों ने हिंदी अध्यापन संबंधित मानसशास्त्रीय आधार, सामान्य तत्त्व तथा नये प्रवाहों की भी चर्चा की है।

उपर्युक्त अनुसंधान के आधारपर अनुसंधान-कर्ताने शिक्षा-प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का स्थान कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में निष्कर्ष निकाले हैं। किन्तु जितना महत्व पाठ्यक्रम को दिया जाना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया जाता।

साथ ही उन्हों ने यह भी उधृक्त किया है कि, निम्न कक्षाओं में हिंदी भाषा का अध्यापन करते समय अध्ययन, संभाषण, वाचन एवं लेखन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूरवर्ति उद्देश्य पूर्ति के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान हिंदी भाषाध्यापन द्वारा हो, यह अपेक्षित महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष स्वरूप उद्देश्य माना गया है।

कोहली [१९७४] ने, ' Evaluated the Effectiveness of the curriculum for teacher education at B.Ed.level in Punjab in achieving its objectives' नामक अनुसंधान कार्य किया है। इसमें पंजाब राज्यांतर्गत बी.एड. के निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया गया है। साथ ही अभ्यासक्रम के सैद्धांतिक विभाग एवं प्रात्यक्षिक कार्य का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले है।

श्रीवास्तव [१९७०] ने " उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत "प्रत्यक्ष कार्याध्यापन" [प्रॅक्टीस टीचिंग] के उद्देश्य, आशय एवं पद्धति के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्ययन में उन्होने प्रात्यक्षिक कार्याध्यापन [प्रॅक्टीस टीचिंग] का सम्पूर्ण बी.एड. के पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, मूल्यांकन पद्धतिका प्रभाव उनके प्रस्तुतिकरण [परफॉर्मन्स] पर कैसे दिखाई देता है, इस बारें में निष्कर्ष निकाले है।

उपर्युक्त चर्चित अनुसंधान कार्यों से प्रस्तुत शोध-कार्य का दूरान्वयीन रूपसे भी संबंध नहीं प्रस्थापित किया जा सकता। किन्तु चर्चा से उपयुक्तता की दृष्टि से यह समझ में आता है। प्रस्तुत अनुसंधान कार्य से संबंधित या पूर्वस्थिति से संबंधित कोई भी अनुसंधान-कार्य आजतक नहीं हुआ है। उपर्युक्त अनुसंधान - कार्य माध्यमिक पाठशालास्तरीय भाषाध्यापन तथा बी.एड्. के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को मद्येनजर रखते हुए किया गया है। अत: प्रस्तुत अनुसंधान कार्य से संबंधित

आधारभूत सामग्री की उपलब्धता नहीं हुई है, जिसका प्रत्यक्ष रूपसे संबंध जुडता हो। अत: प्रस्तुत अनुसंधान कार्य अपने स्थान पर महत्व लेते हुए सम्पूर्णत: नवीन दिशा में किया गया है, जो पूर्णत: नवीन एवं एकमेव है।

१.५ अनुसंधान कार्य के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य को एक विशिष्ठ दिशा प्रदान हो इसलिए निम्नांकित उद्देश्यों की योजना की थी।

अ] बी.एड्. के पाठ्यक्रमांतर्गत " हिंदी-अध्यापन-विधि " के पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक भाग की उपयुक्तता के बारे में अध्ययन करना।

१] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता के बारे में अध्ययन करना।

२] कुशल एवं क्षमतापूर्ण अध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का योगदान के बारे में अध्ययन करना।

३] सैद्धांतिक पाठ्यक्रमांतर्गत सशक्त घटकों का शोध लेना।

४] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के दुर्बल घटकों के बारे में शोध लेना।

५] सैद्धांतिक पाठ्यक्रम-घटकों के संगठन के बारे में अध्ययन करना।

ब] बी.एड्. के पाठ्यक्रमांतर्गत "हिंदी-अध्यापन-विधि" के पाठ्यक्रम के प्रात्यक्षिक-कार्य भाग की उपयुक्तता के बारे में अध्ययन करना।

१] अध्यापन-कार्य के लिए सुयोग्य रूप से क्षमताएँ प्रदान करने में पाठ्यक्रम के प्रात्यक्षिक कार्यों की कार्यनीति के संबंध में अध्ययन करना।

२] प्रशिक्षणार्थियों के लिए सशक्त प्रात्यक्षिक घटक कौन से है, इसका शोध लेना।

३] प्रात्यक्षिक-कार्य घटकों में से किन घटकों में कौनसी त्रुटियाँ है, इसका शोध लेना।

४] हिंदी-अध्यापन-विधि का पाठ्यक्रम सर्वान्गपरीपूर्ण बनने के लिए परीवर्तनशील घटकों का शोध लेना।

<u>गृहितक :-</u>

१] हिंदी भाषा का अध्यापक परिपूर्ण बनने हेतु प्रचलित बी.एड्. का हिंदी-अध्यापन-विधि पाठ्यक्रम अर्थपूर्ण, परिपूर्ण एवं सत्वयुक्त होना आवश्यक है।

२] प्रचलित बी.एड्.का "हिंदी-अध्यापन-विधि का पाठ्यक्रम" जिन प्रशिक्षणार्थियों ने पूरा किया है, उन्हें पाठशालाओं मे "हिंदी विषय का अध्यापक" के रूप में कार्य करते समय प्रशिक्षणांतर्गत सम्पन्न पाठ्यक्रम अध्ययन से " अध्यापन कार्य " की प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

१.६ अनुसंधान- कार्य की मर्यादाएँ :-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य की मर्यादाएँ निम्नांकित है।

१] शिवाजी विश्वविद्यालय संलग्नित शिक्षा-शास्त्र शाखांतर्गत शिक्षा-शास्त्र के महाविद्यालयों तक, जिनमें सिर्फ बी.एड्. की उपाधि प्राप्त करने हेतु एक [१] वर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। उसमें से "हिंदी अध्यापन विधि " का संशोधन ही प्रस्तुत शोध कार्य में अपेक्षित है।

२] प्रस्तुत संशोधन-कार्य सिर्फ शिवाजी विश्वविद्यालय संलग्नित उनतीस अध्यापक महाविद्यालयों तक ही सीमित है।

३] हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम का चिकित्सात्मक अध्ययन प्रशिक्षणांतर्गत / छात्रशिक्षक, अध्यापक एवं पाठशाला में प्रशिक्षणोत्तर अध्यापन कार्य के संदर्भ में किया गया है।

१.७ अनुसंधान कार्य की पद्धति :-

प्रस्तुत अनुसंधान वर्तमान परिस्थिति से सम्बन्धित होने से "सर्वेक्षण-पद्धति" का अवलंब किया था। समस्या-विषय के संदर्भ में वर्तमान स्थिति का चित्र स्पष्ट रूप से दिखाने में यह पद्धति उपयुक्त साबित हुई है।

इस पद्धति द्वारा प्राप्त सामग्री का संकलन, वर्णन, स्पष्टीकरण, अर्थान्वयन और मूल्यांकन किया गया है तथा सर्वाङ्गपरिपूर्ण पाठ्यक्रम बनने के

लिए परिवर्तन के उपाय सुझाने का प्रयास किया है।

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य दो विभागों में विभाजित है।

अ] प्रथम विभाग में बी.एड्. पाठ्यक्रमांतर्गत " हिंदी-अध्यापन-विधि " की प्रशिक्षण कालीन कार्यनीति एवं प्रशिक्षणोत्तर हिंदी-अध्यापन कार्य में उसकी उपयुक्तता के बारे में सर्वेक्षण किया गया है।

ब] द्वितीय विभाग में बी.एड्. पाठ्यक्रमांतर्गत " हिंदी-अध्यापन-विधि की त्रुटियों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाले गये है एवं उसे सर्वांगपरिपूर्ण बनाने के लिए सूचनाएँ तथा सिफारिशें दी गयी है।

१.८ अनुसंधान कार्य के साधन :-

सर्वेक्षण पद्धति से जानकारी प्राप्त करने के लिए " प्रश्न-सूची ", " साक्षात्कार एवं भेट-योजना " इ. साधनों को उपयोग में लाया गया है।

प्रश्नसूची :-

इन साधनों का विवरण निम्नांकित है -

" हिंदी-अध्यापन-विधि " पाठ्यक्रम का अध्ययनवाले छात्रशिक्षकों केलिए एक प्रश्न-सूची बनायी थी, जिसमें बाईस [२२] प्रश्न की योजना की थी। प्रश्नसूची के इस प्रश्नों द्वारा सैद्धांतिक पाठ्यक्रम घटकों की उपयुक्तता, पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों की सफलता, सफल अध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का

योगदान, प्रात्यक्षिक-कार्य की उपयुक्तता एवं कुशल अध्यापक बनने में उसका योगदान इ. के संदर्भ में प्रश्न पुछे थे।

दूसरी प्रश्नसूची प्रशिक्षणोत्तर हिंदी अध्यापकों के लिए थी, जिसमें ग्यारह [११] प्रश्नों की योजना की थी। इस में नीजि अध्यापन कार्य में हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, प्रात्यक्षिक कार्य तथा कार्यशालाओं में सम्पन्न ज्ञान, कौशलों की मदत कैसे होती है, तथा सफल एवं कुशल अध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का योगदान इ. के संदर्भ में प्रश्न पुछे थे।

साक्षात्कार एवं भेट योजना :-

प्रस्तुत साक्षात्कार एवं भेट योजना के लिए यादृच्छिक स्वरूप के चुनाव से प्राप्त दस [१०] हिंदी अध्यापन विधि सिखानेवाले अध्यापकों को चुना था। इस साक्षात्कार के समय भी एक प्रश्नसूची को बनाकर ही प्रश्न पूछे थे। जिसमें चौदह [१४] प्रश्न थे। ये प्रश्न छात्राध्यापकों के लिए बनाई गई प्रश्नसूची से मिलते जुलते होते हुए भी स्थूल स्वरूप के थे। साथ ही पाठ्यक्रम के परिवर्तन लाने हेतु सुझावों को प्राप्त करने प्रयास चर्चाद्वारा किया गया है।

प्रस्तुत अनुसंधान के संदर्भ में छात्राशिक्षक के लिए प्रश्नावली परिशिष्ट "अ" में दी गई है। प्रशिक्षणोत्तर " माध्यमिक हिंदी-अध्यापक के लिए प्रश्नावली " परिशिष्ट - "क" में दी गई है। हिंदी अध्यापन विधि का अध्यापन करनेवाले " अध्यापकों की साक्षात्कार प्रश्नसूची " परिशिष्ट -"ख" में दी गई है। इन तीनों प्रश्न-सूचियों में कुछ प्रश्न बद्ध स्वरूप के तो कुछ मुक्त

स्वरूप के थे, तो कुछ प्रश्न संमिश्र स्वरूप के भी थे। इन प्रश्नसूचियों का अनुक्रम से विश्लेषण प्रकरण तीन [३] में सारणीद्वारा किया गया है।

उपर्युक्त प्रश्नावलियों का तथा साक्षात्कार एवं भेट योजना द्वारा जो जानकारी प्राप्त की उसका विवेचन एवं विश्लेषण के बाद अन्वयार्थ लगाने का प्रयास प्रकरण क्र. चार [४] में किया है।

अन्वयार्थ के आधारपर सुयोग्य, उचित निष्कर्ष निकालकर उनके संबंध में सुगबद्धता विचार कर प्रस्तुत शोध-समस्या के संदर्भ में कौनसी उपाय-योजना की जा सकती है, यह उपाय-योजना कैसे आवश्यक है, यह भी स्पष्ट किया गया है।

१.९ न्यादर्श :-

शिवाजी विश्वविद्यालय से संलग्नित अठ्ठाईस [२८]अध्यापक महाविद्यालयों में " हिंदी अध्यापन विधि " का अध्ययन करनेवाले प्रशिक्षणार्थी, इसी विधि का अध्यापन करनेवाले अध्यापक तथा सन १९९२-९३ का पाठ्यक्रम संपन्न कर उत्तीर्ण एवं सेवारत उपलब्ध दस [१०] माध्यमिक पाठशाला के हिंदी भाषाध्यापक इस अनुसंधान कार्य के लिए पूर्ण जनसंख्या के रूप में निर्धारित थे।

इनमें से सिर्फ कोल्हापुर जिलांतर्गत तेरह [१३] अध्यापक महाविद्यालयों में " हिंदी-अध्यापन विधि " का अध्ययन करनेवाले करीबन एक सौ चालीस [१४०] एवं " हिंदी अध्यापन विधि " का अध्यापन करनेवाले अध्यापक तथा

सन १९९२-९३ का नया पाठ्यक्रम संपन्न कर, उत्तीर्ण होकर सेवा में लगे हुए, उपलब्ध [१०] अध्यापक को " नमुना " अर्थात् न्यादर्श के तौरपर चुना था।

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य के लिए उपर्युक्त चर्चित न्यादर्श में से दस अध्यापक महाविद्यालय के हिंदी अध्यापन विधि का अध्ययन करनेवाले छात्रशिक्षकों को अनुसंधान-कर्ता ने अपने उपस्थिति में प्रश्नावली दी तथा उनमें सम्पूर्ण प्रश्नसूची भरनेवाले छात्रशिक्षकों की प्रश्नसूचियाँ को ही स्वीकार किया था। चौरासी [८४] ,छात्र-शिक्षक की प्रश्नसूचियाँ इस प्रकार से उपलब्ध की गयी। इसीतरह " साक्षात्कार " एवं भेटवार्ता " में अध्यापकों द्वारा भी एक प्रश्नसूची संपन्न हो गई है। तेरह अध्यापक महाविद्यालयों में से दस [१०] अध्यापकों से भेटवार्ता एवं साक्षात्कार हो सका। बाकी तीन अध्यापकों से बार बार मिलने का प्रयास करने के बावजूद भी उन्होंने भेटवार्ता एवं साक्षात्कार से इन्कार करने की वजह से अनुसंधानकर्ता को प्रयासही छोडना पडा। सेवारत माध्यमिक पाठशालाके हिंदी भाषाध्यापक जो दस [१०] चूने तो थे, लेकिन उनमें से भी सिर्फ आठ [८] लोंगो ने प्रश्नावली भरकर दे दी है।

उपर्युक्त चर्चित न्यादर्श के छात्रशिक्षक, अध्यापक एवं सेवारत हिंदी भाषा-ध्यापक की सूची अनुक्रम से " परिशिष्ट-अ ," परिशिष्ट- ब "परिशिष्ट- क" में दी गई है।

१.१० प्रकरणीकरण :-

अनुसंधान कार्य के लिए प्रश्नावली, भेटवार्ता एवं साक्षात्कार द्वारा संकलित की गयी सामग्री का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, पृथ:करण करके साथ ही

उसका अन्वयार्थ लगाकर उसपर आधारित निष्कर्ष निकाले गये है। उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर सिफारिशें एवं सूचनाएँ दी गई है।

प्राप्त सामग्री का तथा उपनिर्दिष्ठित जानकारी का विभाजन निम्न - लिखित प्रकरणों में किया गया है।

प्रकरण - १ :- प्रास्ताविक :

इस प्रकरण में अनुसंधान कार्य की पार्श्वभूमी, शोध-कार्य की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है ? इसकी चर्चा की है। अनुसंधान समस्या का शाब्दांकन परिभाषाएँ, अनुसंधान समस्या का महत्व, मर्यादाएँ, अनुसंधान कार्य के उद्देश्य, गृहितक, न्यादर्श आदि के बारे में चर्चा की गई है। अनुसंधान कार्य के लिए कौनसी शोध-पद्धति का अवलंब किया गया है, इसकी भी जानकारी दे दी है।

प्रकरण - २ :- हिंदी-अध्यापन-विधि का पाठ्यक्रम :

प्रस्तुत प्रकरण में हिंदी-अध्यापन-विधि पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के दस घटक, उनकी छात्रशिक्षकों के लिए उपयुक्तता तथा प्रात्यक्षिक कार्यों के विविध उद्देश्य, हिंदी अध्यापन से संबंधित प्रत्यक्ष कार्य उनकी कार्यनीति, उनका मूल्यांकन आदि की चर्चा उपयुक्तता के संदर्भ में, उद्देश्य सफलता के संदर्भ में, तथा सफल अध्यापक बनाने में क्षमताएँ प्रदान करने के संदर्भ में की गयी है। साथ ही पाठ्यक्रमका अर्थ, महत्व तथा बी.एड्. के संपूर्ण पाठ्यक्रम में " हिंदी-अध्यापन-विधि " का स्थान के बारे में चर्चा की गई है।

प्रकरण -३ :- अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया :

प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान कार्य की प्रक्रिया अर्थात अनुसंधान कार्य की पद्धति, अनुसंधान कार्य के साधन, साधनों का विश्लेषण विवेचन, अनुसंधान साधन द्वारा प्राप्त सामग्री, जानकारी की विश्लेषण पद्धति, अनुसंधान कार्य का क्षेत्र क्या है, अनुसंधान कार्य के लिए न्यादर्श कैसा है, उनकी संयुक्तिकता आदि के बारे में चर्चा की गयी है।

प्रकरण -४ :- अनुसंधान संबंधित सामग्री का विश्लेषण तथा अर्थान्वयन :

प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान के लिए साधनोंद्वारा [३ प्रश्नावलियाँ] प्राप्त सामग्रीका वर्गीकरण विश्लेषण किया है। इसमें हिंदी अध्यापन विधि का अध्ययन करनेवाले छात्रशिक्षकों की प्रश्नावली माध्यमिक पाठशाला के हिंदी अध्यापकों की प्रश्नावली तथा अध्यापक महाविद्यालयीन हिंदी अध्यापकों से साक्षात्कार की प्रश्न-सूची द्वारा प्राप्त सामग्री का विश्लेषण एवं अर्थान्वयन तथा सटीक परिक्षण भी किया है। इसके लिए परसेंटेज् सारणीयों द्वारा वर्गीकरण आदि को उपयोग में लाया गया है। इस प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त प्रतिसादों कोही अर्थान्वयन के लिए चुना गया है।

प्रकरण -५ :- निष्कर्ष तथा सिफारिशों :

प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत अनुसंधान कार्य से संबंधित सामग्री के अन्वयार्थ के आधारपर निष्कर्ष दिये गये है, एवं उसके संबंध में सिफारीशें दी गई है। प्रस्तुत निष्कर्ष एवं सिफारिशें हिंदी अध्यापन विधि के पाठ्यक्रम की उपयुक्तता, पाठ्यक्रम

के उद्देश्यों की सफलता, तथा कुशल अध्यापक बनने में पाठ्यक्रम का योगदान इ. के संबंध में दिये गये है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम की उपयुक्तता बढाने हेतु सूचनाएँ भी दी गयी है। साथ ही आगे चलकर अनुसंधान कर्ता को कौनसी दिशामें अनुसंधान कार्य करना चाहिए, इसके बारे में सूचनाएँ तथा सिफारिशें दी गयी है।